उत्तरांचल शासन
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग
अधिसूचना

08 नवम्बर, 2002 ई0

सं0 1401 / कृषि / 3(5) / 2002–चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो;

तथा चूंकि, उ0प्र0 कृषि (समूह "ख" पद) सेवा नियमावली, 1995 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल में यथावत लागू है;

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उ0प्र0 कृषि (समूह "ख" पद) सेवा नियमावली, ~~1995 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी।~~

उत्तरांचल (उ0प्र0 कृषि समूह "ख" पद सेवा नियमावली, 1995) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1–संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ–

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश (कृषि समूह "ख" पद) सेवा नियमावली, 1995) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2–"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना–

उ0प्र0 कृषि (समूह "ख" पद) सेवा नियमावली, 1955 में जहां–जहां शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है वहां–वहां वह शब्द "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा।

3–दिनांक 9–11–2002 के उपरान्त उत्तरांचल के संशोधन–

दिनांक 9–11–2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उ0प्र0 कृषि (समूह "ख" पद) सेवा नियमावली 1995 में समय–समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

आज्ञा से,
(बी0पी0 पाण्डेय)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1401/Agri/3(5)/2002,** dated November 08, 2002 for general information :

NOTIFICATION

November 08, 2002

No. 1401/Agri/3(5)/2002–WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Government of Uttaranchal may, by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as may be necessary or expedient;

AND WHEREAS, the U.P. Agriculture Group "B" Service Rules, 1995 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000) the Governor is pleased to direct the U.P. Agriculture Group "B" Service Rules, 1995, shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order :–